राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 504 / II / 12

जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.14	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 96 / 2007-08 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-12-11 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदकगण व्दारा तहसीलदार राजनगर वृत्त ललपुर के प्रकरण कमांक 4/अ-27/04-05 में पारित आदेश दिनांक 8-12-04 से किये गये बटवारा आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष दिनांक 16-11-07 को अपील प्रस्तुत की थी जो 2 वर्ष 11 माह से अधिक अवधि वाद थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इतने लम्बे विलम्ब को क्षमा करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर का आदेश दिनांक 30.12.11 निरस्त किया जावे।	
	3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुकम में अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 96 / 2007-08 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-12-11 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेंदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में शपथ पत्र सहित	

प्रस्तुत कर विलम्ब क्षमा किये जाने की प्रार्थना की है । उन्होंने पक्षकारों को अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर श्रवण कर निष्कर्ष दिया है कि अनावेदकगण बटवारा की गई भूमि में सहखातेदार रहे है जिन्हें तहसील न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया, जिसके कारण जानकारी होने पर दिनांक 26–12–07 को प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन दिया एंव 29–12–07 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपील की गई है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में हुये विलम्ब को क्षमा करने में किसी प्रकार की बैधानिक त्रृटि की है ? अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण कमांक 96 / 2007–08 अपील में अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन के अवलोकन से एंव तथ्यों के आकलन से प्रथम दृष्टया स्थिति यह है –

> भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)–धारा–47 सहपठित परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 – यदि मामले की सूचना की तामील सम्यक्रूप से न हुई हो तब उसमें पारित आदेश के विरूद्व अपील में परिसीमा की संगणना आदेश की जानकारी के दिन से होगी। तथापि आदेश की जानकारी का दिनांक और उसका श्रोत सावित किया जाना चाहिये।

चूँकि अनावेदकगण (अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलांट्स) ने अनुविभागीय अधिकारी को तत्सम्बन्ध में समाधान करा दिया कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी समय पर नहीं हुई और दिनांक 18–12–07 को सर्वप्रथम जानकारी होने पर एंव प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में अपील समयावधि में की गई है, अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब को क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

4 / निगरानी मेमो के तथ्यों पर विचार करने एंव अनुविभागीय

504/II/12
श्री है / उन्होंने
श्रवण कर
में

अधिकारी राजनगर के आदेश दिनांक 30.12.11 के तथ्यों पर विचार करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने आदेश दिनांक 30.12.11 में विलम्ब के प्रत्येक बिन्दु पर गौर कर आदेश पारित किया है और न्यायालय का दायित्व है कि न्यायदान की दृष्टि से प्रकरण में आये तथ्यों पर सही-सही निष्कर्ष देकर आदेश पारित करें -

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)-धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963- धारा 5 - पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है- उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जायेगा।
2. परिसीमा अधिनियम, 1963- धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)-धारा 47 - सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार-रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।

उपरोक्त कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 96/2007-08 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-12-11 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अस्तु निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापिस कर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर